



19/03/20



FB INFRA DEVELOPERS LLP

(2)

विक्रय-पत्र

बिक्री 96,50,000/- मालियत 96,64,000/- ई-स्टाम्प 4,83,200/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | - | आवासीय |
| 2. परगना | - | देवां |
| 3. ग्राम | - | माती
(वी कोड 1188 पृष्ठ 138) |
| 4. सम्पत्ति का विवरण नं० | - | 70 |
| 5. मापन की इकाई | - | वर्गमीटर |
| 6. क्षेत्रफल | - | 2530 वर्गमीटर |
| 7. सड़क की स्थिति | - | किसान पथ मार्ग से लगभग
200 मी० दूर |
| 8. अन्य | - | कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - | आवासीय प्लॉट |
| 10. निर्मित क्षेत्रफल | - | कुछ नहीं |
| 11. अन्य कीमत | - | कुछ नहीं |
| 12. सरकारी दर | - | 4,500/- प्रति वर्ग मी० |
| 13. प्रतिफल की धनराशि | - | 96,50,000/- |

पं० ०१०-०१३६
पं० ०१०-०१३६
पं० ०१०-०१३६

19/03/20 सुन्दर लाल



FB INFRA DEVELOPERS LLP

Sundar Lal



14. चौहद्दी प्लाट :

(3)

पूरब - चकमार्ग
पश्चिम- गाटा सं0 43
उत्तर - गाटा सं0 68
दक्षिण - गाटा सं0 71

प्रथम पक्ष संख्या 1

विक्रेता का विवरण

सुन्दरलाल पुत्र मूल चंद्र
निवासी-ग्राम माती परगना देवा
तहसील नवाबगंज जिला
बाराबंकी।

व्यवसाय-कृषि।

Adhar No-xxxx xxxx 1693

PanNo- BIHPL3310G

Mobile- 7518139869

द्वितीय पक्ष संख्या 1

क्रेता का विवरण

एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स

एल0एल0पी0

(DIN No-08242763)

(Pan No-AAHFF4066A) पार्टनर

संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर

सिंह निवासी- ग्राम कटहा,

कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच

व्यवसाय- व्यापार

Adhar No-xxxxxxxxx0148

M.No- 6393477103

-:लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण:-

हम सुन्दरलाल पुत्र मूल चंद्र निवासी-ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। प्रथम पक्ष विक्रेता व एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0 पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच द्वितीय पक्ष क्रेता हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य है परन्तु द्वितीय पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं। जो कि प्रथम पक्ष स्थित गाटा संख्या 70 रकबा 1.5620हे0 ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की आराजी में है ---


FB INFRA DEVELOPERS LLP

प्रो. सुन्दरलाल

(4)

जिसका प्रथम पक्ष 1/4 भाग अर्थात् 0.3905हे0 का पूर्णतया स्वामी हैं। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से आराजी के अपने सम्पूर्ण 1/3 भाग मे से 0.253हे0 अर्थात् 2350 वर्गमी0 भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 96,50,000/- छियानवे लाख पचास हजार जिसके आधे 48,25,000/- अड़तालीस लाख पच्चीस हजार रूपया के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य में से मु0 9,00,000/- रूपया जरिये चेक सं0 001164 व मु0 9,00,000/- रूपया जरिये चेक सं0 001165 व मु0 8,00,000/- रूपया जरिये चेक सं0 001167 बैंक ऑफ बड़ौदा व मु0 70,50,000/- रूपया पूर्व में ही जरिये RTGS के द्वारा इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल प्राप्त कर लिया है। यदि लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा 20,000/-रूपये से अधिक का नगद लेन-देन किया गया है। यदि इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसकी हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत प्लाट पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण कब्जा करा दिया। हम प्रथम पक्ष इकरार करते है कि अब आज से हम प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लाट में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी हैं। ----

FB INFRA DEVELOPERS LLP




शुद्धलाल



(5)

जो चाहे करे व विक्रीत प्लाट का दाखिल खारिज करे इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत प्लाट या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत प्लाट प्रथम पक्ष पुश्तैनी सम्पत्ति है। जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसकी 50 मी० त्रिज्या में कोई औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि/रोड नहीं है तथा 100मी० की त्रिज्या में कोई सेगमेन्ट रोड या कोई मुख्य सड़क या अन्य सड़क व खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। विक्रीत प्लाट में कोई निर्माण नहीं है। इससे पूर्व इससे सम्बन्धित कोई इकरारनामा बय बिला कब्जा नहीं किया गया है। विक्रीत प्लाट पूर्णतया आवासीय है जिसे द्वितीय पक्ष ने आवास के लिए खरीदा है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 2530 वर्गमीटर है। विक्रीत भूमि में से 1000 वर्गमी० की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित दर 4,500/- प्रति वर्गमी० की दर से मु० 45,00,000/- रूपया होती है व शेष 1530 वर्गमी० की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 4,500/- रु० प्रति वर्गमीटर में 25 प्रतिशत घटाकर मालियत मु० 51,64,000/- रूपया होती है। इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत 96,64,000/- रूपया होती है -----

श्री सुन्दरलाल



FB INFRA DEVELOPERS & LP

Suman



आवेदन सं०: 202400898038349

विक्रय पत्र



वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 30346

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 9650000 स्टाम्प शुल्क- 483200 बाजारी मूल्य - 9664000 पंजीकरण शुल्क - 96640 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 96700

श्री सुन्दरलाल,
पुत्र श्री मूल चंद
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/11/2024 एवं 01:57:45 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक :सदर
बाराबंकी
16/11/2024

सूर्य प्रकाश पाण्डेय
निबंधक लिपिक
16/11/2024

प्रिंट करें



(6)
विदित हो कि आंयकर अधिनियम 1961 के नियमानुसार पक्षकार द्वारा टी0डी0एस0 जमा कर दिया जायेगा। जिसपर अधिसूचना आदेश संख्या- स0 वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 4,83,200/- रूपया के स्टाम्प अदा किये गये हैं। विदित हो कि विक्रीत गाटा संख्या में विक्रेता प्रथम पक्ष का अंश शेष है। उक्त विक्रीत भूमि न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के वाद सं0 387/24.09.22 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-T2022412480119740 के दिनांक 24.09.2022ई0 को धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता 2006 को अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित की जा चुकी है। विदित हो कि उक्त विक्रय पत्र से यदि किसी धारा का उल्लंघन होता है तो उसके जिम्मेदार हम उभयपक्ष होंगे। किसी अन्य किसी भी व्यक्ति से कोई वास्ता व सरोकार न होगा। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। विक्रीत प्लॉट में कोई स्टाम्प वाद नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भाँति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। ---

पिण्ड सुन्दरलाल

FB INFRA DEVELOPERS LLP

Sunmoo



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 30346

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री सुन्दरलाल, पुत्र श्री मूल चंद्र

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1



श्री एफ०बी० इन्फ्रा डेवलपर्स एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर संतोष कुमार सिंह, पुत्र श्री कमल बहादुर सिंह

निवासी: ग्राम कटहा कारीपुरवा सबलापुर जिला बहराइच।

व्यवसाय: व्यापार

Santo Singh



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री अखिलेश सिंह, पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व पोस्ट खेमापुर जिला अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

AKS



श्री अनुज गौतम, पुत्र श्री सुन्दरलाल

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी


व्यवसाय: अन्य

अनुज गौतम



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:



प्रिंट करें

हरीश चतुर्वेदी .
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
16/11/2024

सूर्य प्रकाश पाण्डेय
निबंधक लिपिक बाराबंकी
16/11/2024

(8)

चस्पा-फोटो

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
गाटा संख्या - 70
विक्रेता - सुन्दरलाल
क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0
द्वारा पार्टनर



FB INFRA DEVELOPERS PVT LTD

विक्रेता

क्रेता

एफ0बी0 सुन्दरलाल

Sundar Lal



(7)
जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है। विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं हैं और न ही स्थगन आदेश पारित है। लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति नहीं है।
दिनांक-16.11.2024

शुन्दरलाल



FB INFRA DEVELOPERS P

Samm



गवाह 1.
अखिलेश सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट खेमापुर,
जिला अम्बेडकरनगर
Adhar No- xxxx xxxx 9087
M.No- 9653030866




Aksh



गवाह 2.
अनुज गौतम पुत्र सुन्दरलाल
निवासी-ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज
जिला बाराबंकी।
Adhar no-xxxx xxxx 4599
Mobile-7518139869



अनुज गौतम




मसविदाकर्ता

आशीष कुमार उपाध्याय
एडवोकेट
सिविल कोर्ट-बाराबंकी
दू०पै० बारा कौन्सिल सं०-07683009
मो०नं०-9336

(9)


रेखांकित मानचित्र

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
गाटा संख्या - 70
विक्रेता - सुन्दरलाल
क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0
द्वारा पार्टनर



गाटा सं0 68

गाटा सं0 43



गाटा सं0 71

FB INFRA DEVELOPERS PVT

विक्रेता

क्रेता

शुन्दरलाल


Suman



आवेदन सं०: 202400898038349

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18244 के पृष्ठ 121 से 138 तक क्रमांक 30346 पर दिनांक 16/11/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
16/11/2024

